भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 272
02.02.2026 को उत्तर के लिए

खनन या विस्तार परियोजनाओं को छूट

272. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. :
श्री मुरसोली एस. :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रूपरेखा के अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरणीय जन सुनवाई की अनिवार्य प्रक्रिया से खनन या विस्तार परियोजनाओं की कतिपय श्रेणियों को छूट प्रदान करते हुए कोई कार्यालय ज्ञापन जारी किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी छूटों का ब्यौरा क्या है, उनके पीछे का औचित्य क्या है और शामिल परियोजनाओं की श्रेणियाँ क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों से आपत्तियाँ या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह चिंता व्यक्त की गई है कि ऐसी छूटें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की प्रभावकारिता को कम करती हैं और प्रभावित समुदायों को अपनी चिंताओं को उठाने का अवसर नहीं देती हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार का पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी के हित में ऐसी छूटों की समीक्षा करने या उन्हें वापस लेने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 08.09.2025 को "महत्वपूर्ण/रणनीतिक तथा परमाणु खनिजों के खनन से संबंधित परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन" विषय पर एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें इससे संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। यह कार्यालय ज्ञापन, ईआईए अधिसूचना की धारा 7(III)(झ)(च) में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत के ऊर्जा संक्रमण, रक्षा तैयारियों, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण/रणनीतिक एवं परमाणु खनिजों के महत्व को ध्यान में रखते राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा अथवा अन्य रणनीतिक दृष्टिकोणों से संबंधित परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी जा सकती है।

सरकार को इन छूटों के संबंध में पर्यावरण विशेषज्ञों या सिविल सोसाइटी संगठनों से कोई भी प्रतिवेदन या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। सरकार मौजूदा नियामक ढांचे के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
